संख्या-618/2026/2112/22-2-2025-17(360)/2023

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 01 जून, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सन्तोष कुशवाहा पुत्र स्व0 रामनरेश कुशवाहा, निवासी जनपद-गाजीपुर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-37920/प्रो0अनु0(2)-305/2025 (बैठक दिनांक 23.09.2025), दिनांक 30.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सन्तोष कुशवाहा पुत्र स्व0 रामनरेश कुशवाहा, जो ग्राम-सुसुन्डी, थाना-नोनहरा, जनपद-गाजीपुर का निवासी है। दिनांक 17.08.2006 को धनिया के खेत में पानी चले जाने के कारण अभियुक्त ने 03 सहअभियुक्त के साथ मिलकर राजदेव, जय प्रकाश व हरिओम नामक 03 व्यक्तियों की बन्दूक, रायफल कट्टा व लाठी डण्डे से मारकर हत्या कर दी तथा रामकृत व सोनू नामक व्यक्ति को गम्भीर रूप से घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-415/2006 में भा**0**द**0**वि0की धारा-302/34, 307/34 के अन्तर्गत मा**0** न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0-3 गाजीपुर के आदेश दिनांक 20.01.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 02.02.2024 तक 17 वर्ष, 05 माह, 12 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 09 माह 26 दिन की सजा भोगी गयी है। दिनांक 04.09.2025 तक बंदी की आयु लगभग 53 वर्ष है।

पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर द्वारा बंदी का अपराध समाज को प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित श्रेणी में नहीं होने, पुन: कर सकने, पुन: अपराध करने में सशक्त होने, अग्रेतर अपराध कारित करने से रोकने हेतु जेल में आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी० श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने अभिमत दिनांक 04.04.2004 द्वारा प्रेषित आख्या में अंकन किया गया है कि " पत्रावली उच्च न्या0 में लम्बित फौजदारी अपील संख्या-873/2009 व 874/2009 मूल पत्रावली तलब की गयी है। मा0 न्यायालय में उपरोक्त पत्रावली से सम्बधित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है और उक्त अभियुक्तगण का विचारण भी उनके द्वारा नहीं दिये जाने के कारण समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा कोई अभिमत/राय देना सम्भव नहीं है।"

सलाहकार समिति का अभिमत है कि दिनांक 17.08.2006 को सुबह करीब 05:30 बजे धनिया के खेत में पानी चले जाने के कारण अभियुक्त ने 03 सहअभियुक्त के साथ मिलकर राजदेव, जय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रकाश, व हरिओम नामक 03 व्यक्तियों की बन्दूक, रायफल, कट्टा व लाठी-डण्डे से मारकर हत्या कर दी व रामकृत व सोनू नामक 02 व्यक्तियों को गम्भीर रूप से घायल कर दिया। मा० उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में भय का वातावरण व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/ संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने आयु कम होने, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सी०आर०पी०सी० की धारा-432 द०प्र०स० के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी संतोष कुशवाहा पुत्र श्री रामनरेश कुशवाहा को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सन्तोष कुशवाहा (बन्दी संख्या-370/2014) पुत्र स्व0 रामनरेश कुशवाहा, निवासी जनपद-गाजीपुर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-618/2026/2112(1)/22-2-2025 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर।
2- पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका (क्रिमि0) संख्या-336/2019 रसीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के सन्दर्भ में।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in